गिर्राज नं. मुकेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नो. क्र. 03/24
03/03/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. अपीलार्थी वकील द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की। प्रारंभिक आपत्ति व मूल प्रकरण पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी। बास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 04/03/2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
04/03/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. हाजिर बहस प्रारंभिक आपत्ति व मूल प्रकरण पर मनन किया। प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं अपील प्रा. पत्र एवं प्रारंभिक आपत्ति प्रा. पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति खारिज की जाती है तथा प्रार्थी प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान तहसील बसवा दिनांक 05/09/2022 नामान्तकरण सं. 50। ग्राम गादरवाडा गूजरान स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त नामान्तकरण को विधिवत सुनवाई कर पुनः नामान्तकरण फैसल करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 04/3/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487
E-Mail:-sdo-ban-daw-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–03 / 2024
प्रकरण दायर दिनांकः– 24.06.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 04.03.2025

उनवान

1. गिर्राज पुत्र गंगासहाय
2. धर्मसिंह पुत्र गंगासहाय
3. कमल पुत्र रामरतन
4. सुमेर पुत्र रामरतन
5. प्यारसिंह पुत्र रामरतन
6. हरिसिंह पुत्र किलाग
7. उम्मेद पुत्र किलाण
8. हीरालाल पुत्र रामसहाय
9. काना पुत्र रामसहाय
10. गिर्राज पुत्र रामसहाय
11. शिवदान पुत्र रामसहाय
12. बना पुत्र रामसहाय
13. राधाकिशन पुत्र रामजीलाल
14. विश्राम पुत्र मुरली उर्फ मूलचंद
15. रमेश पुत्र परत्या
16. कैलाश पुत्र बीला
17. कमल पुत्र जगदीश
18. विकम पुत्र जगदीश
19. राधाकिशन पुत्र पॉच्या
20. किशोर पुत्र रमसी
21. हरिसिंह पुत्र रमसी

समस्त जाति गुर्जर निवासी गादरवाडा गुजरान तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. मुकेश पुत्र नाथू
2. सुरज्ञान पुत्र नाथू
3. रामसिंह पुत्र भरता
4. बीरबल पुत्र भरता
5. रामेश्वर पुत्र नारायण
6. विजय पुत्र नारायण
7. रामकिशन पुत्र नारायण

   समस्त जाति गुर्जर निवासी गादरवाडा गुजरान तहसील बांदीकुई जिला दौसा
8. ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान तहसील बसवा हाल तहसील बादीकुई जरिये सरपंच

:– रेस्पोडेन्ट

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान तहसील बसवा दिनांक 05.09.2012 नामान्तकरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गूजरान

अपीलांटी द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट जर्ये वकील श्री विनोद कुमार विजय के प्रार्थना पत्र नामान्तकरण अपील इस आशय से पेश किया है कि सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 4, 28, 50, 62, 72, 86, 286, 303 कुल किता 8 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा का खातेदार भौरया वल्द कालू जाति गुर्जर निवासी गादरवाडा गुजरान था उक्त भौरया वल्द कालू का देहान्त हो गया और उक्त भौरया पुत्र कालू ने किसी को भी गोद नहीं लिया है। मूल्या रामकुंवार का पुत्र था और रामकुवार की विरासत का नामान्तकरण मूल्या के नाम खुला है, भौरया पुत्र कालू के वारिसान उपर वर्णित सजरे अनुसार व आज दिन वारिस अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगा० 7 है। उक्त भूमि के सेटलमेन्ट होकर नये खसरे नंबरान 109, 110, 173, 4, 55, 82, 97 कुल किता 7 कुल रकबा 1.62 है० बने है। उक्त भौरया पुत्र कालू का मूल्या पुत्र रामकुवार दत्तक पुत्र नहीं होने व उसे भौरया द्वारा गोद नहीं लेने के बावजूद भी फर्जीवाड़ा करके उक्त मूल्या पुत्र रामकुवार ने अपने आप को फर्जी तरीके से अपने आप को भौरया पुत्र कालू का दत्तक पुत्र बताकर नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान बिना कोई जॉच किये बिना मिलीभगत से सरपंच गादरवाडा गुजरान से अपने हक में दिनांक 29.01.61 को तस्दीक करवा लिया और उक्त मूल्या पुत्र रामकुवार ने जो इन्द्राज अपने नाम मूल्या दत्तक पुत्र भौरया का करवा लिया था उक्त मूल्या की मृत्यु होने पर फर्जी तरीके से भरता नारायण पुत्रान रामकुवार के वारिसान ने नामान्तकरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गुजरान दिनांक 5.09.2012 को उक्त भूमि का तस्दीक करवा लिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी। अतः अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान के आदेश दिनांक 5.09.2012 जो नामान्तकरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गुजरान पर पारित किया गया है के विरूद्ध निम्न आधारो पर श्रीमान के समक्ष अपील अपीलान्ट पेश है।

निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरुद्ध प्रकिया नियमो के विपरीत होने के कारण निस्स्तनीय है यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दिये बिना व बिना वारिसान की जाँच किये बिना व भौरया पुत्र कालू का मूल्या दत्तक पुत्र नहीं होने के बावजूद रामकुवार का भी फर्जी तरीके से उसे दत्तक पुत्र बताकर उसके नाम रामकुंवार का नामान्तकरण खुला होने के बावजूद भी तथा मूल्या भी लाऔलाद फौत होने व उसके वारिस भरतया व नारायण के वारिस अकेले ही नहीं होने व अपीलान्ट भी होने के बावजूद मात्र भरत्या व नारायण के वारिसान के नाम नामान्तकरण का निर्णय पारित किया गया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। भौरया पुत्र कालू के वारिस उपर वर्णित सजरे अनुसार व आज दिन अपीलान्ट व रेस्पो नंबर 1 लगा० 7 है तथा मौके पर भौरया की समस्त भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पो नंबर 1 लगा० 7 का हिस्से अनुसार कब्जा है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने वारिसान की व बिना कब्जे की जाँच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। निर्णय ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा किया जाता है अकेले सरपंच को निर्णय करने का कोई अधिकार नही था किन्तु नामान्तकरण अकेले सरपंच ने तस्दीक करके कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत ने भौरया को रामकुंवार का भाई बताकर रामकुंवार के वारिसान के हक में मूल्या दत्तक पुत्र भौरया का उत्तराधिकार बनाकर नामान्तकरण का आदेश पारित किया है जो कि कतई गलत है जो कि निरस्तनीय

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान तहशील बसवा दिनांक 05.09.2012 नामान्तकरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गूजरान

अपीलांटी द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट जर्ये वकील श्री विनोद कुमार विजय के प्रार्थना पत्र नामान्तकरण अपील इस आशय से पेश किया है कि सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 4, 28, 50, 62, 72, 86, 286, 303 कुल किता 8 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा का खातेदार भौरया वल्द कालू जाति गुर्जर निवासी गादरवाडा गुजरान था उक्त भौरया वल्द कालू का देहान्त हो गया और उक्त भौरया पुत्र कालू ने किसी को भी गोद नहीं लिया है। मूल्या रामकुंवार का पुत्र था और रामकुवार की विरासत का नामान्तकरण मूल्या के नाम खुला है, भौरया पुत्र कालू के वारिसान उपर वर्णित सजरे अनुसार व आज दिन वारिस अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगा० 7 है। उक्त भूमि के सेटलमेन्ट होकर नये खसरे नंबरान 109, 110, 173, 4, 55, 82, 97 कुल किता 7 कुल रकबा 1.62 है० बने है। उक्त भौरया पुत्र कालू का मूल्या पुत्र रामकुवार दत्तक पुत्र नहीं होने व उसे भौरया द्वारा गोद नहीं लेने के बावजूद भी फर्जीवाड़ा करके उक्त मूल्या पुत्र रामकुवार ने अपने आप को फर्जी तरीके से अपने आप को भौरया पुत्र कालू का दत्तक पुत्र बताकर नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान बिना कोई जॉच किये बिना मिलीभगत से सरपंच गादरवाडा गुजरान से अपने हक में दिनांक 29.01.61 को तस्दीक करवा लिया और उक्त मूल्या पुत्र रामकुवार ने जो इन्द्राज अपने नाम मूल्या दत्तक पुत्र भौरया का करवा लिया था उक्त मूल्या की मृत्यु होने पर फर्जी तरीके से भरता नारायण पुत्रान रामकुवार के वारिसान ने नामान्तकरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गुजरान दिनांक 5.09.2012 को उक्त भूमि का तस्दीक करवा लिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी। अतः अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान के आदेश दिनांक 5.09.2012 जो नामान्तकरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गुजरान पर पारित किया गया है के विरूद्ध निम्न आधारो पर श्रीमान के समक्ष अपील अपीलान्ट पेश है।

निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरुद्ध प्रकिया नियमो के विपरीत होने के कारण निस्तनीय है यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दिये बिना व बिना वारिसान की जाँच किये बिना व भौरया पुत्र कालू का मूल्या दत्तक पुत्र नहीं होने के बावजूद रामकुवार का भी फर्जी तरीके से उसे दत्तक पुत्र बताकर उसके नाम रामकुंवार का नामान्तकरण खुला होने के बावजूद भी तथा मूल्या भी लाऔलाद फौत होने व उसके वारिस भरतया व नारायण के वारिस अकेले ही नहीं होने व अपीलान्ट भी होने के बावजूद मात्र भरत्या व नारायण के वारिसान के नाम नामान्तकरण का निर्णय पारित किया गया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। भौरया पुत्र कालू के वारिस उपर वर्णित सजरे अनुसार व आज दिन अपीलान्ट व रेस्पो नंबर 1 लगा० 7 है तथा मौके पर भौरया की समस्त भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पो नंबर 1 लगा० 7 का हिस्से अनुसार कब्जा है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने वारिसान की व बिना कब्जे की जाँच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। निर्णय ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा किया जाता है अकेले सरपंच को निर्णय करने का कोई अधिकार नही था किन्तु नामान्तकरण अकेले सरपंच ने तस्दीक करके कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत ने भौरया को रामकुंवार का भाई बताकर रामकुंवार के वारिसान के हक में मूल्या दत्तक पुत्र भौरया का उत्तराधिकार बताकर नामान्तकरण का आदेश पारित किया है जो कि कतई गलत है जो कि निरस्तनीय

उप खण्ड अधिकारी

है मूल्या भौरया का दत्तक पुत्र नही है और यदि मूल्या को भौरया का दत्तक पुत्र मानकर नामान्तकरण तस्दीक करना सही मानते है तो भी रेस्पोडेन्ट सजरे अनुसार वारिस नहीं बनते है किन्तु फिर भी कानूनी प्रावधान के विपरीत कार्य करके उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान दिनांक 29.01.61 जो नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान व निर्णय दिनांक 5.09.2012 जो नामान्तकरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गुजरान पर पारित किया है कि अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी क्योकि उक्त निर्णय अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दिये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना वारिसान की जाँच किये बिना पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी सर्वप्रथम दिनांक 16.06.2024 को अपीलान्ट नंबर 1 व 2 अपनी उक्त भूमि के अपने हिस्से की भूमि में काश्त करने के लिये देखभाल कर रहे थे कि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगा० 7 ने आकर धमकी दी कि उक्त जमीन हमारे नाम है इसलिये तुमने उक्त भूमि को अब तक बोकर खा लिया सो खा लिया अब तुम्हे उक्त भूमि में फसल नहीं करने दगे तो अपीलान्ट ने कहा कि उक्त भूमि अपनी पैतृक भूमि है हिस्से अनुसार हमारा कब्जा है आप हमे बेदखल करने वाले कौन होते हो तो उक्त लोगों ने धमकी दी कि उक्त भूमि वर्तमान में हमारे नाम है इसलिये हम उक्त भूमि से अब तुम्हे बेदखल करेंगे और बेदखल नहीं हो सके तो किसी लाठी वाले को विक्रय करेगे तब जानकारी की तो मालूम पड़ा कि उक्त भूमि रेस्पो नंबर 3 लगा० 7 व नाथू के नाम है तब अपीलान्ट ने दिनांक 18.06.2024 को दौसा आकर रिकार्ड रूम मे तलाश किया तो जानकारी में आया कि भौरया पुत्र कालू की मृत्यु होने पर रामकुंवार के पुत्र मूल्या ने अपने आप को फर्जी तरीके से भौरया पुत्र कालू का दत्तक पुत्र बताकर नामान्तकरण 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान ग्राम पंचायत के सरपंच से तस्दीक करवाकर और उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करवा ली और जानकारी करने पर मालूम हुआ कि मूल्या की मृत्यु होने पर मूल्या पुत्र रामकुवार को मूल्या पुत्र भौरया बताकर और उसकी विरासत का नामान्तकरण रेस्पो नंबर 3 लगा० 7 व नाथू एवं मूली देवी के नाम नामान्तकरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गुजरान दिनांक 5.09.2012 को तस्दीक कर रखा है तब अपीलान्ट ने दिनांक 18.06.2024 को ही उक्त नामान्तकरण व अन्य कागजात कीं नकल हेतु आवेदन पत्र पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 18.06. 2024 को मिली तब उक्त नकल को अधिवक्ता को दिखाया तो अधिवक्ता ने बताया कि मूल्या की विरासत का नामान्तकरण खुला है उसकी भी नकल लो तब दिनांक 18.06.2024 को उक्त नामान्तकरण संख्या 501 की नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर नकल तैयार होकर मिली तब अधिवक्ता नियुक्त कर अपील तैयार करवाकर अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है जो जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। दफा 5 कानून मयाद का प्रार्थन पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। वैसे भी उक्त आदेश अवैध व प्रभावशून्य आदेश है और ऐसे आदेश की अपील की कोई मयाद भी नही होती है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान तहसील बसवा हाल बादीकुई दिनांक 05.09.2012 जो 'नामान्तकरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गुजरान पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करें। अपीलांटी द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद पेश किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान दिनांक 29.01.61 जो नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान निर्णय दिनांक 5.09.2012 जो नामान्तकरण संख्या 501 जो ग्राम गादरवाडा गुजरान पर पारित किया है कि अपीलांट की कतई जानकारी

उप खण्ड अधिकारी

नहीं थी क्यो कि उक्त निर्णय अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दिये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना वारिसान की जाँच किये बिना पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी सर्वप्रथम दिनांक 16.06.2024 को अपीलान्ट नंबर 1 व 2 अपनी उक्त भूमि के अपने हिस्से की भूमि में काश्त करने के लिये देखभाल कर रहे थे कि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगा० 7 ने आकर धमकी दी कि उक्त जमीन हमारे नाम है इसलिये तुमने उक्त भूमि को अब तक बोकर खा लिया सो खा लिया अब तुम्हे उक्त भूमि में फसल नहीं करने देगे तो अपीलान्ट ने कहा कि उक्त भूमि अपनी पैतृक भूमि है हिस्से अनुसार हमारा कब्जा है आप हमे बेदखल करने वाले कौन होते हो तो उक्त लोगो ने धमकी दी कि उक्त भूमि वर्तमान में हमारे नाम है इसलिये हम उक्त भूमि से अब तुम्हे बेदखल करेंगे और बेदखल नहीं हो सके तो किसी लाठी वाले को विक्रय करेंगे और जानकारी की तो मालूम पड़ा कि उक्त भूमि रेस्पो नंबर 3 लगा० 7 व नाथू के नाम है तब अपीलान्ट ने दिनाक 18.06.2024 को दौसा आकर रिकार्ड रूम में तलाश किया तो जानकारी में आया कि भौरया पुत्र कालू की मृत्यु होने पर रामकुंवार के पुत्र मूल्या ने अपने आप को फर्जी तरीके से भौरया पुत्र कालू का दत्तक पुत्र बताकर नामान्तकरण 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान ग्राम पंचायत के सरपंच से तस्दीक करवाकर और उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करवा ली और जानकारी करने पर मालूम हुआ कि मूल्या की मृत्यु होने पर मूल्या पुत्र रामकुवार को मूल्या पुत्र भौरया बताकर और उसकी विरासत का नामान्तकरण रेस्पो नबर 3 लगा० 7 व नाथू एवं मूली देवी के नाम नामान्तकरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गुजरान दिनांक 5.09.2012 को तस्दीक कर रखा है तब अपीलान्ट ने दिनांक 18.06.2024 को ही उक्त नामान्तकरण व अन्य कागजात की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 18.06.2024 को मिली तब उक्त नकल को अधिवक्ता को दिखाया तो अधिवक्ता ने बताया कि मूल्या की विरासत का नामान्तकरण खुला है उसकी भी नकल लो तब दिनांक 18.06.2024 को उक्त नामान्तकरण संख्या 501 की नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर नकल तैयार होकर मिली तब सर्वप्रथम उक्त आदेशो की जानकारी हुई इससे पूर्व कतई जानकारी नही थी इसलिये अपील पेश करने में देरी हुई है जिसको श्रीमान द्वारा क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। यह कि वैसे भी उक्त आदेश अवैध व प्रभावशून्य आदेश है और ऐसे आदेश की अपील की कोई मयाद भी नही होती है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने मे हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस विधिवत की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन सिंह उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लगायत 08 बावजूद जर्ये रजिस्ट्री एडी नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 05 लगायत 08 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 की ओर से प्रारंभिक आपत्ति पेश की गयी कि उनवानी प्रकरण अपील में वर्णित पारिवारिक सजरा सही नहीं है जो कि विश्वसनीय व प्रमाणित दस्तावेज नहीं है और प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपति रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगायत 4 की और से प्रकार पेश है। एक परिवार के सदस्य नही होकर अलग अलग परिवार के सदस्य है अपीलानट व रेस्पोडेन्ट का परिवार में दूर दूर तक कोई परिवारीक सम्बन्ध नही है परिवारीक सजरा बिलकुल गलत है और न ही अपीलांट को अपील करने का कोई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

अधिकार है। यह है कि अपीलान्ट का अपील में वर्णित भूमि सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नम्बर 4, 28, 50, 62, 72, 86, 286, 303 कुल किता 8 कुल रकबा 10 बिघा 6 बिस्वा से कोई संबंध सरोकार अधिकार व आधिपत्य नही है रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 7 एक ही परिवार के सदस्य है और उक्त भूमि उन्हे विरासत में प्राप्त हुई है जो कि तत्कालिन समय से ही काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है जिसकी अपीलांट को भलीभांति जानकारी है। यह है कि यहा पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 के दादा व रेस्पो संख्या 3 व 4 के पिता भरता तथा रेस्पोडेन्ट सख्या 5, 6, 7 के पिता नारायण का सगाभाई मूल्या था और मूल्या भौरया के गोद चला गया था भौरया के कोई जाइन्दा सन्तान नही थी भौरया का दत्तक पुत्र मूल्या था भौरया की मृत्यु के बाद उक्त आराजी का प्रश्नगत नामांतकरण संख्या 15 दिनांक 29 जनवरी 1961 को ग्रामपंचायत गादरवाडा गुजरान ने जॉच कर तस्दीक करवाया गया था जो कि प्रश्नगत नामांनकरण संख्या 15 से प्रमाणित है उक्त नामांतकरण की अपीलान्ट को भली भाती जानकारी है जिस का भी उक्त नामांतकरण मे स्पष्ट प्रमाण है नामांतकरण के कोलम संख्या 16 कि पूर्ति अपीलान्ट सख्या 13 के दादा रघुनाथ द्वारा ही अवगत कराइ गयी थी जिस मे स्पष्ट अंकन है जो कि रघुनाथ की अगुठा निशानी है ऐसी सुरत में अपीलान्ट का कहना की जानकारी नही थी व फर्ज कारी कर रेस्पोडेट व स्व मूल्या ने प्रश्नगत नामांतरण खुलवा लिया बिलकुल गलत है उक्त नामांतकरण विधिवत नामांतकरण तस्दीक हुआ है ऐसी सूरत मे अपील निरस्तनिय है । अपीलान्ट द्वारा न्यायालय को भ्रमित करने के उदेश से अपील में गलत तथ्य अंकित किये गये है जो कि प्रश्नगत नामांतकरण में कही अंकित नहीं है कि "भौरया व रामकुवार भाई हो" दोनो को भाई बताकर मूल्या द्वारा प्रश्नगत नामांतकरण संख्या 15 तस्दीक करवाया गया हो बल्कि वास्तविक व सही बात यह है कि मूल्या के नाम प्रश्नगत नामांतकरण गोद पुत्र की हैसियत से तस्दीक हुआ है मूल्या भौरया के गोद गया हुआ था भौरया के कोइ जाइन्दा सन्तान नही थी भौरया द्वारा मूल्या को गोद लिया गया था जो भौरया की मृत्यु के बाद विधिवत प्रश्नगत नामांतकरण संख्या 15 गोद पुत्र की हैसियत से रघुनाथ की उपस्थिति में जॉच कर पटवारी हल्का द्वारा भरा गया था जिस की विधिवत व नियम अनुसार जाँच कर ग्रामपंचायत द्वारा तस्दीक किया गया था जो कि एक विधि सम्मत नामांतकरण है उक्त नामांतकरण के विरूध जानकारी के बावजूद भी 63 वर्ष बाद अपील पेश की है जो बहुत लम्बी अवधि बाद अपील पेश की है जो मियाद बहार है जो कि प्रारम्भिक स्टेज पर ही निरस्तनीय है । तत्कालिन खातेदार मूल्या दत्तक पुत्र भौरया द्वारा उक्त प्रश्नगत नामांतकरण द्वारा विरासत मे प्राप्त आराजी मे से कुछ भूमी का बेचान कर दिया गया था उक्त विकय की गई आराजी के खातेदार काबिज काश्त कार वर्तमान खातेदारो को अपील में पक्षकार नही गया है वर्तमान खातेदारो को पक्षकार बनाए बिना व सुने बिना अपील चलने योग्य नही है। वर्तमान खातेदारो व काबिज कास्तकारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक व न्यायोचित था ऐसी सूरत मे अपील अपीलांट निरस्तनीय है। यह है कि तत्कालिन खातेदार मूल्या दत्तक पुत्र भौरया की मृत्यु के बाद उसकी विरास्त प्रथम श्रेणी के वारिसान जो कि मूल्या के सगाभाई भरता व नारायण के वारिसो को जायेगी जो कि नियमानुसार विधिक वारीसान है मूल्या की मृत्यु के बाद उसकी विरास्त का नामांतकरण सख्या 501 दिनांक 05.09.2012 को ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान द्वारा नियमानुसार विधिवत कानूनम मूल्या के सगाभाई स्व. भरता व स्व. नारायण के वारिसान नाथू, रामसिंह, बीरबल, पिता भरता, मूली पत्नि भरता व रामेश्वर

उप खण्ड अधिकारी

विजयसिंह, रामकिशन, पिता नारायण के नाम तस्दीक किया गया है। जो कि एक विधिसम्मत नामांतकरण है जिस की ग्रामपंचायत द्वारा विधिवत व नियमानुसार जाँच कर तस्दीक फरमाया गया है ग्रामपंचायत सरपंच द्वारा कोई गलती नही की गई है उक्त प्रश्नगत नामांतकरण में अंकित आराजी से अपीलान्ट का दूर दूर तक कोई सम्बन्ध सरोकार अधिकार आधिपत्य नही है और न ही उक्त नामांतकरण मे पक्षकार है और न ही अपीलान्ट प्रभावित है ऐसी सुरत मे अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने कोई अधिकार प्राप्त नही है। जोकि अपील अपीलान्ट निरस्तनीय है। यह है कि उक्त प्रश्नवत नामांतकरणो मे वर्णित आराजी पर तत्कालीन समय मे स्व मूल्या दत्तक पुत्र भौरया का कब्जा व स्वामित्व था उसकी मृत्यु के बाद वर्तमान खातेदारो का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है अपीलांटगण का कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसी सूरत मे अपील अपीलांट निरस्तनीय है अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति रेस्पोडेट संख्या 1, 2, 3, 4 की और से प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र के संलग्न दफा 5 कानून मयाद पेश किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान दिनांक 29.01.61 जो नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गूजरान निर्णय दिनांक 05.09.2012 जो नामान्तकरण संख्या 501 जो ग्राम गादरवाडा गूजरान पर पारित किया है कि अपीलांट को कतई जानकारी नहीं थी क्योकि उक्त निर्णय अपीलांट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दिये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना वारिसान की जांच किये बिना परित किया गया है इसलिये अपीलांट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाने की कृपा करें। रेस्पोडेन्ट लगायत 01 लगायत 04 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र दफा 5 का पेश किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचाायत गादरवाडा गुजरान दिनांक 29.01.61 जो नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान निर्णय दिनांक 05.09.2012 जो नामान्तकरण संख्या 501 जो ग्राम गादरवाडा गुजरान पर पारित किया है कि अपीलांट को भली भाती जानकारी है जिसका उक्त नामान्तकरण में स्पष्ट प्रमाण है नामान्तकरण के कोलम संख्या 16 की पूर्ति अपीलांट संख्या 13 के दादा रघुनाथ के द्वारा ही अवगत कराई गयी थी जिसमे स्पष्ट अंकन है जो रघुनाथ की अंगूठा निशानी है ऐसी सूरत में अपीलांट का कहना की जानकारी नहीं थी बिल्कुल गलत है उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध जानकारी के बावजूद भी 63 वर्ष बाद अपील पेश की है व नामान्तकरण संख्या 501 दिनांक 05.09.2012 जो 13 वर्ष बाद पेश की है जो बहुत लम्बी अवधि बाद अपील पेश की है जो बहुत लम्बी अवधि बाद अपील पेश की है जो मियाद बहार है जो कि प्रारंभिक स्टेज पर निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा इस संबंध में लिखित बहस के साथ न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 1992 पेज 598, आर आर डी 1992 पेज 239 आर आर डी 1997 पेज 105, आर आर डी 1997 पेज 287, आर आर डी 1994 पेज 77, आर आर डी 1994 पेज 308, आर आर डी 1990 पेज 384, आर आर डी 1990 पेज 441, आर आर डी 1997 पेज 587, आर आर डी 1998 पेज 319, आर आर डी 1995 पेज 576, आर आर डी 1995 पेज 113, आर आर डी 1996 पेज 380, 474, तथा आर आर डी 1996 पेज 425 पेश किये। प्रार्थना पत्र दफा 5 पर उभयपक्ष वकील को सुना। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण पेश किया गया है जिसका गुणावगुण के आधार पर विधिवत निस्तारण किया जाना है। अतः

उप खण्ड अधिकारी

प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट्स की ओर से अपीलान्ट्स वकील द्वारा लिखित बहस मय उक्त न्यायिक दृष्टांत पेश किये। हमने प्रारंभिक आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी। प्रारंभिक आपत्ति, प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मय न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान द्वारा नामान्तकरण फैसल करते समय अपीलांट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी नहीं किये गये तथा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित नहीं किया गया। ना ही रेस्पोडेन्टगण द्वारा मूल्या, भौरया के गोद गया हो इस बाबत कोई रजिस्टर्ड गोदनामा पत्रावली में पेश नहीं किया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अपीलांटगण अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपीलांट अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई दिनांक 05.09.2012 नामान्तकरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गूजरान स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान के निर्णय दिनांक 05.09.2012 द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 501 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को इस निर्देश के रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त नामान्तकरण की विधिवत सुनवाई कर पुनः नामान्तकरण फैसल करें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

04.3.25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)